फैक्स/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-13/2017/ए-1-929/दस-2017-3(2)/87

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक : 27 सितम्बर, 2017

विषय : नियत तिथि से पूर्व वेतन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 29/30 सितम्बर, 2017 को दशहरा, दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 को मोहर्रम व दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 को महात्मा गाँधी जयन्ती का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण श्री राज्यपाल महोदय समस्त राज्य कर्मचारियों व सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वेतन एवं उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह सितम्बर, 2017 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कृपया इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
मुकेश मित्तल
सचिव, वित्त।

संख्या-13/2017/ए-1-929(1)/दस-2017-3(2)/87, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

प्रेषित कि वे समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।

(6) चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ।

(7) करेन्सी ऑफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, इश्यू सेक्शन, कानपुर।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।